राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 77 / 2015

जोरावर सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
3. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडा, जिला उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 26.07.2024

समक्ष :– अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री कुणाल रावत एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 02.12.2015 (अनुलग्नक–5) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी से 1,24,750/– रूपये की वसूली किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से उक्त वसूली इस आधार पर की जा रही है कि अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत डांग, में सचिव रहते हुए ग्राम पंचायत द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं में सोलर लाईट क्रय की है, जो व्यय अनियमित होना मानते हुए वसूली की कार्यवाही की गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि वसूली किये जाने के पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। वसूली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। ऐसे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाते हुए अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही की गयी है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ग्राम सेवक पदेन सचिव और संरपच ग्राम पंचायत डांग पंचायत समिति कोटडा ने एकराय होकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और नियम तथा राजस्थान लेखा एवं वित नियमो मे वर्णित प्रावधानों की घोर अवहेलना करते हुए वितित्तय अनियमितताएं कारित करते हुए पदीय दुरूपयोग किया है, जिसके संबध मे राज्य सरकार के निर्देशों पर

गठित जांच समिति द्वारा सम्पादित तकनीकी एवं लेखा संबधित जांच के परिणाम स्वरूप प्रस्तावित वसुली के संबध मे दिनांक 02.01.2015 को वसुली नोटिस/पत्र जारी किया गया उक्त नोटिस बिना किसी दुर्भावना और दबाब के पारित किया गया है, जो पुर्णतया विधिक होने से प्रार्थी अपीलार्थी से राशि 1,23,750/– वसूलनीय है। तद्नुसार अपील मय कोस्ट स्थगन आदेश के काबिल निरस्त योग्य है। सोलर लाईट के अलावा नये कार्य की स्वीकृति और सामग्री क्रय हैतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्रय कमेटी गठित की गई, जिसमे संरपच अध्यक्ष और उपसंरपच एवं सतर्कता समिति का अध्यक्ष एवं पंचायत समिति का कनिष्ठ अभियन्ता और पंचायत समिति के लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार सदस्य है। कमेटी की गणपूर्ती के लिए कनिष्ठ अभियन्ता और लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार के साथ ग्राम पंचायत के संरपच और सचिव की उपस्थिति आवश्यक है। ग्राम पंचायत तेजा का बास ने बिना किसी प्रावधान के और बिना कोई निविदाएं आमंत्रित किये सचिव एवं संरपच ने क्रय कमेटी के बिना ही अपने स्वयं के स्तर से 10 स्ट्रीट लाईट स्थापित किये जाने की कार्यवाही करते हुए वित्तिय अनियमिताएं करते हुए राजकोष को क्षति पहुंचाई है। उक्तानुसार प्रार्थी अपीलार्थी से राशि 124750/– वसूलनीय है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का आगे कथन है कि राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो चुके है इन नियमो के अनुसार सौर उपस्कर तथा उनसे संबधित सेवाएं राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स और इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड से बिना निविदा के लिए जाने का प्रावधान किया हुआ है। उक्त प्रावधानो की अवहेलना करत हुए बिना कोई निविदाएं आमंत्रित किये सचिव एवं संरपच ने क्रय कमेटी के बिना ही अपने स्वयं के स्तर से 10 स्ट्रीट लाईट स्थापित किये जाने की कार्यवाही करते हुए वित्तिय अनियमिताएं करते हुए राजकोष को क्षति पहुंचाई है। राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो की सूची मे सोलर स्ट्रीट लाईट का प्रावधान नही लिया गया है। परन्तु सोलर स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि 50 प्रतिशत (30 प्रतिशत भारत सरकार एवं 20 प्रतिशत निर्बन्ध अनुदान से) का प्रावधान है, उक्तानुसार ग्राम पंचायत डांग संरपच एवं संचिव ने बिना किसी अनुदान स्वीकृति और बिना कोई वित्तिय स्वीकृति के राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स और इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड से क्रय किये जाने के प्रावधान को दरकिनाकर खुले मार्केट से कपोलकल्पित कोटेशनो के नाम पर बिना कोई निविदाएं आमंत्रित किये सचिव एवं संरपच ने क्रय कमेटी के बिना ही अपने स्वयं के स्तर से 10 स्ट्रीट लाईट स्थापित किये जाने की कार्यवाही करते हुए वित्तिय अनियमिताएं करते हुए राजकोष को क्षति

पहुंचाई है। राजस्थान सरकार के आदेश कमांक एफ.4()परावि/एनबीए सीसीडीयू/सोलर लाईट/2014/ 3203/दिनांक 22.07.2014 की अनुपालना मे जिला परिषद स्तर पर तकनीकी अधिकारी एवं लेखाधिकारी की जांच टीम गठित दल ने ग्राम पंचायत तेजा का बास के रिकार्ड से कय संबधित समस्त दस्तावेजात प्राप्त करते हुए भौतिक सत्यापन के साथ सोलर लाईट कय में की गई अनियमितताओं की जांच की गई। सम्पूर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति में ही सम्पन्न हुई है। जांच परिणाम के आधार पर दोषी जनप्रतिनिधि एंव कार्मिकों से अनियमित भुगतान की राशि की वसुली संबधित कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त तथ्यों से अपीलार्थी पुर्णतया वाकिफ रहा है। उक्तानुसार ग्राम पंचायत तेजा का बास मे 10 स्ट्रीट सोलर लाईटे राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स और इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड के तकनीकी मानक और डीजीएस एण्ड डी में अंकित स्पेसिफिकेशन के विपरीत खुले मार्केट से कपोलकल्पित कोटेशनो के नाम पर बिना कोई निविदाएं आमंत्रित किये सचिव एवं संरपच ने कय कमेटी के बिना ही अपने स्वयं के स्तर से कम क्षमता की 10 स्ट्रीट लाईट स्थापित किये जाने की कार्यवाही करते हुए वित्तिय अनियमिताएं करते हुए राजकोष को क्षति पहुंचाई है।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 02.12.2015 जारी किये जाने से पूर्व दिनांक 02.01.2015 को स्पष्टीकरण करने हेतु नोटिस दिया गया था। ऐसे में यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही किये जाने को विधि विरूद्ध होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है एवं इस अपील में अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 23.01.2015 को निरस्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य(न्यायिक)